## न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 196/2017

सरकार बनाम सुलतान पुत्र हनुमान, जाति–राजपूत, निवासी– कासनी

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत**

निर्णय दिनांक 25.01.2018

**निर्णय**

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सुलतान पुत्र हनुमान, जाति–राजपूत, निवासी–कासनी द्वारा रोही मौजा कासनी की राजकीय भूमि ख.नं. 633 कुल रकबा 0.40 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.0150 है0 भूमि पर फसल गेहूँ काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने अपना अतिक्रमण हटा लिया है। मौके पर रास्ता चालू है। गैर सायल की ओर से अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया गया। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली एवं फसल निलामी हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० लै० स० 4 के पृष्ठ सं........41........पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 5/- कायम कि०
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़